

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 89/2020 जिला सीकर ।

1. भागीरथ सिंह पुत्र श्री लालूराम जाति जाट निवासी ढाणी चौधरी चौधरी वाला कुआ दादियारामपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
2. भूमिधारी तहसीलदार, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
3. पटवारी हल्का, दादियारामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 09.06.2017  
अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपरिस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिंह कुडी
2. रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक—29.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 09.06.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 02.07.2020 को प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा ग्राम दादियारामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 269 रकबा 2.17 है0, खसरा नम्बर 291 रकबा 2.43 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 250 रकबा 5.99 है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 2.17 है0, खसरा नम्बर 353 रकबा 1.06 है0, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.58 है0, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 2.52 है0, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.02 है0, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.3592 है0, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 245 रकबा 0.84 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बावत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619-44/राजस्व/2016 /दिनांक 16.08.2016 एवं 4328-53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम दादियारामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 269 रकबा 2.17 है0, खसरा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जयपुर

नम्बर 291 रकबा 2.43 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 250 रकबा 5.99 है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 2.17 है0, खसरा नम्बर 353 रकबा 1.06 है0, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.58 है0, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 2.52 है0, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.02 है0, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.3592 है0, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 245 रकबा 0.84 है0 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 9.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 09.06.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 09.06.2017 मात्र पटवारी हल्का व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव के आधार पर विवादग्रस्त भूमि में रास्ता प्रचलित एवं पुराना मौजूद होना मानकर गै0 मु0 रास्ता अंकित करने हेतु आदेशित किया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने आलौच्य एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 09.06.2017 में कही भी काश्तकार/हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। रास्ता हेतु आदेशित करने से पूर्व किसी भी प्रकार की समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। तथाकथित रास्ता 40 वर्ष पुराना, प्रचलित होना अंकित किया है लेकिन मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है ना ही आदेश में उल्लेखित ढाणियों को ही जोड़ता है। ना ही किसी भी खातेदार द्वारा रास्ता अंकित करवाने हेतु कोई आवेदन सक्षम प्राधिकारी या पटवारी, तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। खसरा नम्बरान के मध्य से रास्ता गुजरना नक्शा ट्रेस में दर्शाया है जिससे विवादित भूमि दो भागों में विभाजित होकर अपीलांट को काश्त कार्य, विकसित एवं अन्य प्रकार के कार्य निष्पादन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा व काफी दुविधाए होगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में रास्ता हेतु काश्तकार की भूमि में से रास्ता लेने पर रास्ते के बराबर भूमि या डीएलसी दर से राशि दिलवाने का प्रावधान है। भूमियों के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति को सूचित करते हुये सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई पालना नहीं की। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट्स को सुनवाई का मौका दिया और बिना किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अंकित/दर्ज  
संज्ञाय  
बयपुर

अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2017 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 09.06.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम दादियारामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 269 रकबा 2.17 है0, खसरा नम्बर 291 रकबा 2.43 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 250 रकबा 5.99 है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 2.17 है0, खसरा नम्बर 353 रकबा 1.06 है0, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.58 है0, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 2.52 है0, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.02 है0, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.3592 है0, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 245 रकबा 0.84 है0 के खातेदारों की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का दादियारामपुरा, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते हैं। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रुख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम दादियारामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 269 रकबा 2.17 है0, खसरा नम्बर 291 रकबा 2.43 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 250 रकबा 5.99 है0, खसरा नम्बर 354 रकबा 2.17 है0, खसरा नम्बर 353 रकबा 1.06 है0, खसरा नम्बर 327 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.58 है0, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 351

अतिरिक्त सहाय्यीय  
बयपुर

रकबा 2.52 है0, खसरा नम्बर 349 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.02 है0, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.3592 है0, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नम्बर 245 रकबा 0.84 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्टस् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारों को नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।
9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)

अति.सम्भागीय आयुक्त  
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)

अति.सम्भागीय आयुक्त  
जयपुर